<u>पंचायती राज मंत्रालय</u>

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की सितम्बर, 2018 माहकी प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सारांश

1) क्षेत्रीय विशेषज्ञों, अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकार के अधिकारियों, पीआरआई और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा व्यापक जीपीडीपी के निर्माण के लिए पुनर्गठित जीपीडीपी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। पुनर्गठित दिशानिर्देशों को माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।

2) देश की सभी पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी की प्रक्रिया इस वर्ष अभियान मोड में 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर की अवधि में की जा रही है।

3) चूंकि जन योजना अभियान "सबकी योजना सबका विकास" को **2** अक्टूबर से **31** दिसंबर, **2018** के दौरान एक प्रारंभिक गतिविधि के रूप में पूरे देश में पूरी शक्ति के साथ शुरू किया गया है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर के संसाधन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला एनआईआरडी और पीआर में **6** से **7** सितंबर, **2018** तक आयोजित की गई । इस राष्ट्रीय स्तर की कार्याशाला में छठी अनुसूची क्षेत्र जहां पंचायत नहीं है सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया क्योंकि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की नई योजना को देश के सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। राष्ट्रीय कार्यशाला बहुत सफल रही। कार्यशाला और अभियान के आगे विभाग के प्रभावी और सफल शुरुआत के लिए सुविधा प्रदाताओं, पीआरआई कर्मियों, संबंधित विभाग के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और सोपानी मोड में एसएचजी कार्यकर्ताओं को और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य को हासिल किया। राज्यों ने जीपीडीपी अभियान के लिए प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति भी बनाई।

4) पंचायती राज मंत्रालय की इंटर्नशिप(प्रशिक्षण) योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में अल्पकालिक आधार पर "इंटर्न" के रूप में भारत या विदेशों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में नामांकित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री या शोध करने वाले विद्वानों या छात्रों को शामिल किया जाएगा। यह पारस्परिक लाभ के लिए पंचायती राज मंत्रालय के साथ युवा अकादमिक प्रतिभा को जोड़ने की अनुमति देता है। यह स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सरकारी कार्यकलाप और शासन से संबंधित नीतियों के बारे में जानने के लिए "इंटर्न" को अवसर भी प्रदान करेगा। यह योजना मंत्रालय की

वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जो उपयुक्त आवेदकों से आवेदनों को लघु अवधि के आधार पर इंटर्न के रूप में शामिल करने के लिए आमंत्रित करती है।

5) गैर-भाग **IX** क्षेत्रों से संबंधित लोगों सहित जन विकास अभियान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सभी उत्तर पूर्वी (पूर्व) राज्यों के लिए दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन एनआईआरडी और पीआर-पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) गुवाहाटी में **18** से **19** सितंबर **2018** के दौरान किया गया था। इससे पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से गैर भाग **IX** क्षेत्रों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों के योजना अभियान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित गतिविधियों को मजबूत करने में मदद मिली। कार्यशाला के हिस्से के रूप में राज्यों की तैयारी की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।

6) परिणामस्वरूप, एसएचजी-पीआरआई अभिसरण पर सभी राज्यों द्वारा प्रशिक्षण और मिशन अंत्योदय डेटा के संग्रह के लिए नियुक्त सुविधाप्रदाताओं और जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा के संचालन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

7) जीपीडीपी अभियान के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक पोर्टल-'सबकी योजना, सबका साथ', एमओपीआर की एनआईसी इकाई द्वारा स्थापित की गई है। राज्य पोर्टल पर अभियान से संबंधित डेटा अपलोड करेंगे और इसकी निगरानी मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

8) जीपीडीपी अभियान के लिए राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पडेस्क के रूप में कार्य करने के लिए व्यावसायिक सहायता और चार हेल्पलाइनों के अभियान के प्रबंधन के लिए मंत्रालय द्वारा एक पीएमयू स्थापित किया गया है।

9) जीपीडीपी अभियान के लिए सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं और प्रारूपों वाली एक पुस्तिका मुद्रित कर सभी राज्यों और अन्य हितधारकों को प्रसारित की गई।

10) चौदह राज्यों तमिलनाडु, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, राजस्थान, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी और टी) के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की हाल ही में अनुमोदित केंद्र प्रायोजित योजना के राज्य घटक के तहत पीआरआई के लिए 262.37 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। टीआईएसपीआरआई परियोजना के तहत चालू वर्ष के लिए गतिविधियों को शुरू करने हेतु एनआईआरडी और पीआर को 5.5 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

11) विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए एमओपीआर राज्यों का सख्ती से अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में,

मंत्रालय वीडियो सम्मेलन आयोजित कर वित्त वर्ष 2017-18, ग्राम पंचायत / विक्रेता पंजीकरण के लिए प्रियासॉफ्ट पर खाते को बंद करने के लिए राज्यों का अनुसरण कर रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए 79% ग्राम पंचायतों ने अपनी खाता किताबें बंद कर दी हैं और 130869 ग्राम पंचायतें (53%) ने पीएफएमएस पर पंजीकृत हैं। शेष ग्राम पंचायत इसकी प्रक्रिया में हैं। लगभग 62000 ग्राम पंचायतें (25%) पहले ही डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) खरीद चुके हैं। विक्रेता को एकीकरण और पीएफएमएस डिजिटल भुगतान के लिए उत्तराखंड (सहसपुर ब्लॉक में तिलवाडी जीपी) में सफलतापूर्वक पायलेट परीक्षण भी किया गया है।

12) इसके अलावा, सभी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों में स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) कोड को अपनाने पर जोर दिया गया है। एलजीडी कोड के साथ ग्राम पंचायतों को मानचित्रण करने के लिए मंत्रालय पीएफएमएस टीम के साथ पूरी तरह से अनुसरण कर रहा है। आज तक, 89% ग्राम पंचायतों का एलजीडी कोड के साथ मानचित्रण कर दिया गया है।

13) एलजीडी और एमएक्शनसोफ्ट पर एक दिवसीय कार्यशाला 17 सितंबर 2018 को यशवंतराव चव्हाण अकादमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पुणे में आयोजित की गई थी। अट्ठारह राज्यों के नोडल अधिकारी (एलजीडी)और तकनीकी व्यक्ति (एनआईसी / एसपीएमयू) ने कार्यशाला में भाग लिया। प्रतिभागियों को एलजीडी डेटा में मौजूदा विसंगतियों और मानचित्रण के मुद्दों को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया । नवीनतम स्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ एलजीडी कार्यक्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ग्राम पंचायत सीमाओं के सत्यापन / सुधार के लिए एलजीडी अनुप्रयोग में एक जीआईएस उपकरण एकीकृत किया गया है। प्रतिभागियों को एलजीडी में इस नई कार्यक्षमता पर प्रशिक्षित किया गया था और एमएक्शनसोफ्ट (मोबाइल एप्लिकेशन) जियो-टैग (अक्षांश देशांतर के साथ) चौदहवें वित्त आयोग के तहत बनाई गई / रखरखाव की गई संपत्ति की चरणवार प्रगति को दर्ज करने के लिए विकसित किया गया है।

14) इस मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में अरुणाचल प्रदेश को 70.572 करोड़ रुपये, मूल अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए तमिलनाडु को 758.06 करोड़ रुपये और मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में बिहार को 2099.855 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 523.9 3 करोड़ रुपए , हरियाणा को 387.9 5 9 करोड़ रुपये , कर्नाटक को 920.7696 करोड़ रुपए और मध्यप्रदेश को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 1354.39 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

15) वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत मूल अनुदान के आवंटन 29942.87 करोड़ रुपए की तुलना में कुल 28600.45 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति की गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान 34596.26 करोड़ के आवंटन की तुलना में 32157.00 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 के लिए40021.63 रुपये के आवंटन की तुलना में 17661.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष

2016-17 के दौरान 3927.65 करोड़ रुपए के निष्पादन अनुदान की तुलना में 3499.45 करोड़ रुपए और वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रुपये के आवंटन के की तुलना में 1106.90 करोड़ रुपये जारी किए गए ।

16) पंचायत पुरस्कार -2019 के लिए पंचायत योजना के प्रोत्साहनीकरण के तहत, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी) और नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी) की श्रेणियों के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से ऑनलाइन नामांकन 28 सितंबर 2018 से आमंत्रित किए गए हैं।

.**********

Ministry panchayati Raj

Summary on Major achievements, significant developments and Important events of MoPR for the month of September, 2018

1) The restructured GPDP Guidelines for formulation of comprehensive GPDPs by the Gram Panchayats were finalised, after extensive consultations with sectoral experts, other related Central Ministries, State Government Officials, PRIs and other stakeholders. The restructured guidelines were approved by Hon'ble Minister of Panchayati Raj and will soon be shared with the States for necessary action.

2) The process of preparation of the Gram Panchayat Development Plan (GPDP) by all Panchayats in the country has been undertaken in campaign mode this year, to be carried out in the period 2nd October to 31st December.

3) As People's Plan Campaign " Sabki Yojana Sabka Vikas" has been launched with full vigour across the country during 2nd October to 31st December, 2018, as a preparatory activity, a National Level Training Workshop for National Level Resource Persons was held on 6th-7th September, 2018 at NIRD&PR. The said National workshop was attended by all States and UTs, including those from Sixth Schedule areas, where there are no Panchayats, as the new Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) extends to all States /UTs of the country. The National Workshop was very successful, and achieved the objective of further training the facilitators, PRI functionaries, frontline workers from line Department, and SHG functionaries in cascading mode for the effective and successful roll out of Campaign. The States also made a detailed presentation regarding preparatory activities for the GPDP campaign.

4) The Internship scheme of Ministry of Panchayati Raj has been approved. The scheme seeks to engage students pursuing Under Graduate/Post Graduate Degree or Research Scholars enrolled in recognised University/Institution within India or abroad as "Interns" on short duration basis. This allows young academic talent to be associated

with Ministry of Panchayati Raj's work for mutual benefit. This will also give "interns" opportunity to know about the Government functioning and the policies relating to the governance at the local level particularly in the rural social and economic sectors. The scheme has been uploaded on the website of the Ministry, inviting applications from suitable applicants to be engaged as interns on short duration basis.

5) A two day Regional workshop for all North Eastern (NE) States for addressing the issues relating to the People's Plan campaign including those relating to non-part IX areas was organised during 18th -19th September 2018, at NIRD&PR-North Eastern Regional Centre (NERC) Guwahati. This facilitated the North Eastern States, particularly Non Part IX areas, in firming up the activities relating to various aspects of peoples plan campaign in NE Region. A review of the preparedness of the States was also conducted as part of the workshop.

6) Subsequently, trainings were conducted by all States on SHG- PRI convergence and for the Facilitators appointed for the collection of Mission Antyodaya Data and for the conduct of special Gram Sabhas for GPDP.

7) A portal for managing and monitoring the GPDP Campaign - Sabki Yojna, Sabka Saath, has been set up by the NIC unit of MoPR. The States will upload the data relating to the Campaign on the Portal and the same will be monitored by the Ministry.

8) A PMU has been set up by the Ministry for the management of the Campaign, comprising of professional support and four helplines to function as helpdesk to provide the necessary technical support to the States for the GPDP Campaign.

9) A booklet containing all important information and formats for the GPDP Campaign was printed and disseminated to all States and other stakeholders.

10) Funds to the tune of Rs. 262.37 crore have been released to 14 States namely Tamil Nadu, Mizoram, Tripura, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Manipur, Maharashtra, Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Rajasthan, Punjab, Bihar and Uttar Pradesh towards Capacity Building & Training (CB&T) of PRIs under the State Component of recently approved Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA). Further funds to the tune of Rs. 5.5 crore have been released to NIRD&PR for undertaking the activities for the current year under the TISPRI Project

11) As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regards, the Ministry has been conducting video conferences; pursuing the States for closure of account on PRIASoft for FY 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 79% of the Gram Panchayats have closed their account books and 130869 GPs (53%) have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same. Around 62000 GPs(25%) have already procured Digital Signature Certificates (DSCs). Pilot tests for the integration and PFMS digital payment to vendor has also been successfully done in the State of Uttarakhand *(Tilwadi GP in Sahaspur Block).*

12) Further, with a major emphasis on adopting Local Government Directory (LGD) codes across all the Central Government Ministries and State Governments; the Ministry is thoroughly pursuing with the PFMS team to get the GPs mapped with LGD codes. As on date, 89% of Gram Panchayats are mapped with LGD codes.

13) One day workshop on LGD & mActionSoft was held on 17th September 2018 at Yashwantaro Chavan Academy of Development Administration, Pune. Nodal officers (LGD) of 18 States and Technical person (NIC/SPMU) participated in the workshop. Participants were trained on resolving the existing discrepancies and mapping issues in LGD data. In order to enhance the LGD functionalities with latest spatial technology, a GIS tool is integrated in the LGD application for verification/correction of Gram Panchayat boundaries. Participants were trained on this new functionality in LGD and mActionSoft (mobile Application) is developed for capturing geo-tagged (with latitude longitude) stage-wise progress of asset created/maintained under Fourteenth Finance Commission.

14) In accordance with the recommendation of this Ministry, the Ministry of Finance (MoF) has released 1st instalment of Basic Grant of Rs. 70.572 crore to Arunachal Pradesh, 2nd intstalment of Basic Grant of Rs. 758.06 crore to Tamil Nadu for FY 2017-18 and 1st instalment of Basic Grant of Rs. 2099.855 crore to Bihar, Rs. 523.93 crore to Chhattisgarh, Rs. 387.995 crore to Haryana, Rs. 920.7696 crore to Karnataka and Rs. 1354.39 crore to Madhya Pradesh for FY 2018-19.

15) The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 is Rs. 28600.45 crore against the allocation of Rs. 29942.87 crore, during 2017-18 is Rs. 32157.00 crore against the allocation of Rs. 34596.26 crore and it is Rs.17661.67 crore against the allocation of Rs.40021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 3499.45 crore against the allocation of Rs. 3927.65 crore for 2016-17 and Rs. 1106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore, for the year 2017-18.

16) For Panchayat Awards-2019 under the Incentivization of Panchayats scheme, online nominations under the categories of Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar (DDUPSP) and Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar (NDRGGSP) have been invited from State Governments/Union Territory Administrations w.e.f. 28th September 2018.

****